सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि व्यवहार न्यायालय पूर्णियाँ की निष्प्रयोजित घोषित वाहनों की नीलामी दिनांक 12:06:18 को 11:00 बजे पू० में समाहरणालय सभाकक्ष में नीलामी समिति के समक्ष की जाएगी।

नीलामी हेतु वाहनों कि विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	निबंधन की संख्या	वाहन का प्रकार	तिथि वर्ष	न्यूनतम मूल्य	वहन कहाँ स्थित है।
1	2	3	4	5	6
1	BR11D8620	एम्बेसेडर	2007	25000/- (पच्चीस हजार)	व्यवहार न्यायालय परिसर में
2	BR11D8621	एम्बेसेडर	2007	25000/- (पच्चीस हजार)	व्यवहार न्यायालय परिसर में
3	BR11B7290	एम्बेसेडर	2001	20000/- (बीस हजार)	व्यवहार न्यायालय परिसर में
4	BR11D0171	एम्बेसेडर	2005	22000/- (बाईस हजार)	व्यवहार न्यायालय परिसर में
5	BR11D7289	एम्बेसेडर	2005	22000/- (बाईस हजार)	व्यवहार न्यायालय परिसर में
6	BR1AD9898	मारुति इस्टीम कार	2007	75000/- (पचहत्तर हजार)	व्यवहार न्यायालय परिसर में

नीलामी की शर्तें:-

1. डाक में भाग लेने वाले डाककर्त्ता को नीलामी की तिथि 12:06:18 ... के एक दिन पूर्व तक कार्यालय अवधि में प्रतिभूति राशि जिला परिवहन कार्यालय पूर्णियाँ के कार्यालय में नगद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चार पहिया वाहन के लिए 10,000/- (दस हजार रूपया) प्रति वाहन प्रतिभूति राशि जमा करना होगा।
2. इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
3. वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया बारी-बारी से होगी, अर्थात 01 वाहन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही दूसरे वाहन की नीलामी की जायेगी।
4. नीलामी में सफल व्यक्ति का प्रतिभूति नीलामी के तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

5. उपरोक्त विवरणी के स्तम्भ 05 में अंकित राशि को वाहन का सुरक्षित मूल्य माना गया है। सुरक्षित मूल्य से कम की बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी।

6. नीलामी के दौरान उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी समय बोली की राशि एक मुश्त जमा करनी होगी। इसमे विफल होने पर पर उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जाएगी तथा अगले उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को सफल माना जायेगा।

7. नीलामी की प्रकिया में समाहरणालय अथवा इस से संलग्न कार्यालय/इसके अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी कर्मी/पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के कार्यालय अथवा इस से संलग्न थाना/ कार्यालय के कर्मी/ पदाधिकारी एंव सरकारी कर्मी भाग नहीं लेंगें।

8. अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही वाहन दिया जाएगा। निलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसे किसी भी अदालत में चुनौती नही दिया जा सकता है।

9. नीलामी समिति द्वारा सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के लिए निमित मात्र नीलामी कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। वाहन संबंधित कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की हागी। वाहन के सभी प्रकार के भार (**Free of a encumbrances**) से मुक्त मानते हुए नीलामी की जाएगी। नीलामी की न्यूनतम राशि में किसी प्रकार का कर समाहित नहीं है। नीलामी में सफल क्रेता का नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।

10. नीलामी '' जो है,जहाँ है, जैसा है,'' के आधार पर किया जायेगा तथा किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

11. इच्छुक व्यक्ति संबंधित वर्णित स्थलों पर जाकर वाहनों को देख सकते हैं।

12. अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही पूर्ण भुगतान के आधार पर वाहन दिया जायेगा।

13. किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी बिना कारण रद्द की शक्ति अद्योहस्ताक्षरी एवं नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा।

14. इसकी विस्तृत घोषणा-पत्र/प्रपत्र जानकारी जिला के वेबसाईड **Purnea.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है। कार्य दिवस में वाहन के अवलोकन वाहन भंडारण स्थल के संबंध में अथवा नीलामी से संबंधित अन्य जानकारी हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णियाँ मो0नं0-9470484111 से सम्पर्क किया जा सकता है।

19/5/18

जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णियाँ

अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता पूर्णियाँ